# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोनः– 2708739 E-mail: rajssa.cce@gmail.com फैक्सः– 5107388, 2701822

क्रमांक : रा.स्कू.शिप/जय/SIQE/ /2018–19/ 3688 दिनांक : 19/11/18

प्राचार्य,
डाइट
समस्त जिले।

विषय – डी.एस.एफ. द्वारा किए जा रहे कार्यों के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के समस्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 में संचालित SIQE गतिविधि संचालित की जा रही है। गतिविधि को उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक है कि गतिविधि की नियमित मॉनीटरिंग की जावें। इस हेतु यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से बोध शिक्षा समिति द्वारा समस्त जिलों में डी.एस.एफ. नियुक्त किए गए है। डीएसएफ द्वारा विद्यालयों में SIQE कार्यक्रम को सम्बलन देते हुए क्रियान्वयन करवाने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। डीएसएफ के कार्यों की समय–समय पर राज्य स्तर पर समीक्षा की जाती है। इसी समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया है कि डीएसएफ द्वारा कलस्टर रिसोर्स विद्यालयों (CRS) को ही प्राथमिकता प्रदान देते हुए अकादमिक सम्बलन एवं सहयोग दिया जा रहा है। अतः **राज्य स्तर के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जिलों में नियुक्त डीएसएफ की क्षमताओं का उपयोग निम्नानुसार लिया जाना सुनिश्चित करें –**

- **जिले में प्राथमिक कक्षा संचालित सभी विद्यालयों में SIQE कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अकादमिक सम्बलन हेतु सहयोग लिया जाए।**
- **D.A.G. की बैठकों के आयोजन एवं अकादमिक सत्रों के निर्माण, संचालन व अकादमिक चर्चा में सहयोग लिया जाए।**
- **जिले के आदर्श/उत्कृष्ट/लैब विद्यालय/कलस्टर रिसोर्स विद्यालयों (CRS) में SIQE कार्यक्रम के सफल व सुदृढ़ संचालन हेतु मासिक कार्यक्रम बनाकर विद्यालयों में उपस्थित रहकर अकादमिक सहयोग व सम्बलन प्रदान कराना सुनिश्चित करावें।**
- **विद्यालयों में SIQE सर्टीफिकेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में सहयोग करते हुए जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व प्राचार्य, डाइट को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करावें।**

प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा डीएसएफ के कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि डीएसएफ द्वारा किए जा रहे कार्यों की पाक्षिक समीक्षा करते हुए उक्तानुसार इनकी क्षमताओं को उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रति माह समीक्षा प्रगति का प्रतिवेदन परिषद कार्यालय को SIQE प्रकोष्ठ की ई–मेल आईडी cce.rmsa@gmail.com पर प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि एससीईआरटी, उदयपुर, निदेशालय प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, तथा बोध शिक्षा समिति को भिजवाना सुनिश्चित करें।

( डॉ0 प्रियाबलराम शर्मा )
उपायुक्त– द्वितीय

www.rajteachers.com

क्रमांकः रास्कूलशिप/जय/फम/2018–19/ 3689 दिनांकः 19/11/18

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –**

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
7. अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
8. यूनिसेफ, जयपुर।
9. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, कूकस, जयपुर।
10. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त– द्वितीय